यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला क्रीडा अधिकारी उधम सिंह नगर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला **क्रीडा अधिकारी उधम सिंह नगर** के माह 03/2016 से 01/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अजय कुमार सचान सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा श्री महेन्द्र तिवारी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 28.02.2018 से 07.03.2018 तक सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री योगेश त्यागी एवं श्री अरिंदम चटर्जी सहा. लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 29-02-2016 से 08-03-.2016 तक श्री प्रेमचंद वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 05/2013 से 02/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 03/2016 से 01/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी

(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- जिला खेल कार्यालय उधम सिंह नगर द्वारा जनपद के विभिन्न स्थानों पर खेल प्रशिक्षण शिविर एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, स्पोर्ट्स स्टेडियम में बैडमिंटन, एथ्लेटिक्स, बॉक्सिंग, क्रिकेट, टाइक्वांडो, बास्केटबाल, कराते, वॉलीबॉल, सेपक टकरा, कबड्डी, खो-खो का प्रशिक्षण दिया जाता है। जनपदीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है।
कार्यालय का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र समस्त उधम सिंह नगर जनपद है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:-

(₹ लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**आधिक्य (+)**	**बचत (-)**
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
2015-16	_	_	52.22	52.22	127.66	127.66	_	-
2016-17	_	_	45.55	45.55	93.50	93.50	_	-
2017-18 01/2018	_	_	57.45	48.49	133.00	106.71	_	35.25

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

(धनराशि लाख रु. में)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**प्राप्त**	**व्यय अधिक्य (+)**	**बचत (-)**
2015-16	**शून्य**				
2016-17					
2017-18 (01/18 तक)					

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई स श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

1. सचिव खेल
2. अपर सचिव खेल
3. निदेशक खेल
4. अपर निदेशक खेल
5. संयुक्त निदेशक खेल
6. उप निदेशक खेल
7. सहायक निदेशक खेल

1- जनपद स्तर

1-जिला क्रीड़ा अधिकारी

2- उप क्रीडाधिकारी

3-वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

4-प्रधान सहायक

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में जिला क्रीड़ा अधिकारी उधम सिंह नगर को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 01/2018 व 03/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

a. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो ब

प्रस्तर: 1- शासनादेश के विरुद्ध बिना एमओयू के ₹ 191.92 लाख के निर्माण कार्य कराया जाना।

वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 475/XXVII(7)/ 2008 दिनांक 15-12-2008 के अनुसार एमओयू हस्ताक्षरित कर समयसारिणी के अनुरूप समय से निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाए एवं निर्माण कार्य का गहन अनुरक्षण भी सुनिश्चित किया जाए।
जिला क्रीडा अधिकारी उधम सिंह नगर द्वारा क्रीडा विभाग के अंतर्गत निम्न निर्माण कार्य कराये जा रहे थे:

1) ग्राम सभा निर्मल नगर सितारगंज में इंडोर हाल का निर्माण, लागत ₹144.60 लाख (वर्ष 2013-14) प्रगति -100% कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग, रुद्रपुर।

2) स्पोर्ट्स स्टेडियम रुद्रपुर में चहरदीवारी एवं नाला निर्माण, लागत ₹47.32 लाख, कार्यदायी संस्था जिला पंचायत, उधम सिंह नगर।

उक्त निर्माण कार्यों की पत्रवालियों की जांच में पाया गया कि निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था के साथ एमओयू नहीं किया गया जोकि वित्त विभाग के शासनादेश का स्पष्ट उल्लंघन था साथ ही एमओयू न किए जाने से कार्यदायी संस्था के साथ कार्य के संबंध में कोई दबाव भी नहीं बनाया जा सकता था।

लेखा परीक्षा द्वारा एमओयू न किए जाने के संबंध में इकाई ने अवगत कराया कि क्रम सं 1 के एमओयू पत्रावली में उपलब्ध नहीं है एवं क्रम सं 2 का एमओयू शीघ्र करा लिया जाएगा, इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि एमओयू यदि किया गया होता तो पत्रावली मे संलग्न किया गया होता एवं क्रम सं 2 में भी अद्यतन एमओयू नहीं किया गया था।

अतः ₹ 191.92 लाख के कार्य बिना एमओयू के कराये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या**	**भाग दो ब प्रस्तर**	**STAN**
14/2013-14	-	02	1
208/ 2015-16	-	02	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
इकाई ने अवगत कराया कि पुराने प्रस्तरों की अनुपालन आख्या सीधे कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेशित कर दी जायेगी।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

……Nil……

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **जिला क्रीडा अधिकारी उधम सिहं नगर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः शून्य**

2. **सतत् अनियमितताएः**
   (i) Nil

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

नाम	पदनाम	अवधि
श्री सुरेश चन्द्र पांडे	जिला.क्रीड़ा.अधि.	22/07/2010 से 28/12/2016 तक
श्रीमति रशिका सिद्दीकी	जिला.क्रीड़ा.अधि.	28/12/2016 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **जिला क्रीड़ा अधिकारी उधम सिंह नगर** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/ (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.